न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 132 / 2021	08–10–2020	30–06–2022

1. मन्ना लाल पुत्र छोटूराम जाति माली,
2. छब्बू पुत्र मानादीन जाति माली निवासीगण ग्राम मीणा की ढाणी तन दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

– अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 20.12.2019 अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या 75 / 2019

[redacted] उपस्थित:

01–श्री अनिल गुप्ता –वकील अपीलाण्ट

02–श्री दीपक मीणा, राजकीय अधिवक्ता –पैरोकार सरकार

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 20.12.2019 प्रकरण संख्या 75 / 2019 जिसके द्वारा सम्वत 2076 में अपीलान्ट को ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 846 रकबा 0.54 हैं0 में से 0.0041 हैं0 किस्म गैर मुमकिन नला में मन्दिर का निर्माण किये जाने पर बदखली / पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि [redacted] थानागाजी ने भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत ग्राम थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 846 रकबा 0.54 हैं0 में से 0.0041 हैं0 किस्म गैर मुमकिन नला में मन्दिर का निर्माण किये जाने पर अतिक्रमी बाबूलाल, बद्री, छब्बू, पप्पू, सिसराम पंचूराम जातियान माली घीसमल, शिम्भू, मन्ना, मुरलाल रामरतन सतरान जातियान माली लालाराम, कैलाश पुत्रान हीरालाल जातियान माली निवासीगण ग्राम मीणा की ढाणी तन दुहार चौगान में मन्दिर का निर्माण किया जा रहा है, मना करने के उपरान्त भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का / गिरदावर द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र एवं मौका जाँच रिपोर्ट दिनांक 19.07.2019 पेश कर दी गयी। जिस पर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया अतिक्रमी तहत अदालत में दिनांक 30.07.2019 को उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया तथा दिनांक 14.08.2019 को जवाब कथन प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि प्रस्तुत रिपोर्ट सही नहीं है पुनः निशानदेही की जावे। क्योंकि एक गैर मुमकिन रास्ता पूर्व से पश्चिम जाती है, जो उक्त रास्ते की सीमा थानागाजी में पड़ती है तथा सीमा ग्राम दुहार चौगान में पड़ती है, रास्ते के उत्तर में मंदिर है। नक्शा दखल में यह मंदिर दुहार चौगान में लगता है, उक्त कथन की पुष्टि हेतु पुनः गिरदावर थानागाजी से रिपोर्ट तलब की गयी, गिरदावर थानागाजी ने जाँच रिपोर्ट दिनांक 10.08.2019 पेश कर अवगत कराया है कि विवादित स्थल निर्माणाधीन मंदिर ग्राम थानागाजी के आराजी खसरा नं0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

846 रकबा 0.54 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला में होना बताया गया है। दिनाक 18.09.2019 को जवाब पेश कर निवेदन किया गया है, कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान को गलत नोटिस जारी किया गया है, मन्दिर बुर्जगान के समय से बना हुआ था, जिस पर चबुतरा बनाकर एक गुमटीनुमा छोटा मंदिर बना हुआ था, जो करीब 60–70 साल पूर्व बना हुआ है, जिसका गैरसायलान/अन्य गॉव के वाशिंदो ने जीणोद्दार करने के लिये चन्दा उगाकर पुराने चबूतरे का निर्माण करवाया गया था जिसके मरम्मत व लिपाई व नीचे छत व मार्बल लगाने हेतु कार्य किया जा रहा था जो हिन्दू धर्म की आस्था के अनुरूप पूजा की जा रही है, शिकायतकर्ता भवानी सैनी द्वारा शिकायत की गयी है, जो कतई गलत है, मौके पर कोई रास्ता सकडा नही किया गया है, न ही पानी को रोका गया है। पुरे बारिश के सीजन में पानी की एक बूंद भी इकटठी नही हुयी है। साथ ही निवेदन किया गया है, कि गैरसायलान ने एक प्रकरण माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी में विचाराधीन है। जिसमें कमिश्नर रिपोर्ट पेश होनी है, शिकायतकर्ता की भी तलवी हो चुकि है। चूँकि एक प्रकरण की दो कार्यवाही समान्तरण रूप से न्यायालय में नही चल सकती है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश की सुनवाई तक स्थगित रखने का निवेदन किया गया। जिस पर तहत अदालत के द्वारा अप्रार्थीगण का 421 वर्ग फुट किस्म गैर मुमकिन नला पर अतिकमण मान बेदखल किया जाकर निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये गये गये है, तहत अदालत का आदेश दिनाक 20.12.2019 विधि विरूद्व है, तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट के वकील के द्वारा जवाब देने के बाद कहा गया था कि जैसे ही फैसला होगा में आप को सूचित कर दुगा उनके द्वारा सूचित नही किये जाने पर आदेश दिनाक 20.12.2019 की जानकारी दिनाक 28.02.2020 को हुयी जब पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर अपीलान्ट को उक्त आदेश के बारे में बताया की उक्त निर्माणाधीन मंदिर अतिकमण में आता है,जिस पर अपीलान्ट के वकील के माध्यम से जानकारी की गयी पारित आदेश की नकल के लिये दिनाक 02.03.2020 को आवेदन पेश किया गया जो नकल दिनाक 02.03.2020 को प्राप्त हुयी जिस पर बिना देरी किये यह अपील जानकारी की दिनाक 28.02.2020 को मामूलन अन्दर मियाद दफा 05 प्रार्थना के साथ पेश कर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावें स्वीकार फरमायी जाकर की गयी है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार थानागाजी ने दिनांक 20.12.2019 को सम्वत 2076 में अपीलान्ट को ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी की अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 846 रकबा 0.54 है0 में से 0.0041 है0 किस्म गैर मुमकिन नला में मन्दिर का निर्माण किये जाने पर बेदखली/पैनल्टी कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जो तहसीलदार द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर कार्यवाही की गयी है। तहसीलदार द्वारा की गयी कार्यवाही राज्यहित में उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2019 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 03.03.2020 को पेश की गयी है, जो करीब 2 माह 13 दिवस बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.10.2019 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 28.02.2020 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 846 रकबा 0.54 है0 में से 0.0041 है0 किस्म गैर मुमकिन नला ग्राम थानागाजी कि प्रस्तुत रिपोर्ट सही नही है, पुनः निशानदेही की जावें। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि शिकायत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का गैर मुमकिन नला पर अतिकमण होना पाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनाक 19.07.2019, 30.08.2019 व पुनः रिपोर्ट दिनाक 15.06.2020 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विवादित निर्माण आराजी खसरा नम्बर 846 रकबा 0.54 है0 में से 0.0041 है0 किस्म गैर मुमकिन नला ग्राम थानागाजी में स्थित है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादित आराजी पर अपीलांट का स्वामित्व हो या रहा हो। उक्तानुसार निशानदेही का कथन न्यायोचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनाक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोक हित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, गैर मुमकिन नला भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। तहत अदालत द्वारा अनेको बार मौका रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में क़िसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)

अलवर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को उनके मूल रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.06.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)